प्रपत्र 2: आधार नामांकन और अद्यतीकरण

भारत के बाहर के पते के सबूत वाले अनिवासी भारतीयों (18 वर्ष और अधिक आयु) के लिए

कृपया इस प्रपत्र के नीचे दिए गए अनुदेशों का अनुसरण करें और केवल बड़े (ब्लॉक या कैपिटल) अक्षरों का प्रयोग करें।

1	**प्रयोजन :** ☐ नामांकन या ☐ अद्यतन
2	**जनसांख्यिकीय सूचना** *(अद्यतीकरण के लिए केवल अद्यतीकृत की जाने वाली सूचना ही भरें)* :
	(क) नाम : *(कृपया नाम को किसी शीर्षक, सम्मान शब्द और अन्य नाम (एलिअस) के बिना, पीओआई दस्तावेज में दिए गए अनुसार भरें)*
	(ख) लिंग : ☐ महिला ☐ पुरुष ☐ तृतीय लिंग / परलैंगिक *(ट्रांसजेंडर)*
	(ग) जन्म तिथि : ☐☐☐☐☐☐☐☐ (DDMMYYYY) या **आयु :** ☐☐☐ वर्ष ☐ सत्यापित या ☐ घोषित या ☐ अनुमानित *(केवल आयु के लिए)* *(घोषित या अनुमानित के लिए, आधार कार्ड पर केवल घोषित/अनुमानित जन्म का वर्ष मुद्रित किया जाएगा)*
	(घ) ईमेल *(अनिवार्य)* :
	(ङ) मोबाइल नंबर : ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
3	**नामांकन/अद्यतीकरण का आधार :** ☐ दस्तावेज सत्यापन या ☐ परिवार के मुखिया *(एचओएफ)* द्वारा पुष्टि
4	**दस्तावेज-आधारित नामांकन/अद्यतीकरण के लिए, अतिरिक्त जनसांख्यिकीय सूचना और प्रस्तुत दस्तावेज :** *(पते की सूचना केवल नामांकन या पते के अद्यतीकरण के मामले में भरी जानी चाहिए)*
	(क) पता *(जैसा वैध भारतीय पासपोर्ट में दिया गया है)* :
	(ख) प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रकार : *(यूआईडीएआई की वेबसाइट और नामांकन केंद्रों पर प्रदर्शित "स्वीकार्य सहायक दस्तावेजों की सूची" देखें)* (i) पहचान का सबूत *(पीओआई)* : वैध भारतीय पासपोर्ट (ii) पते का सबूत *(पीओए)* : वैध भारतीय पासपोर्ट (iii) जन्म तिथि का सबूत *(पीडीबी) (ऐच्छिक)* :
5	**एचओएफ-आधारित नामांकन या पते के अद्यतीकरण के लिए, अतिरिक्त सूचना और प्रस्तुत दस्तावेज :**
	(क) एचओएफ के ब्यौरे : (i) नाम : आधार नंबर : ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐
	(ii) आवेदक से संबंध : ☐ माता ☐ पिता ☐ विधिक संरक्षक *अन्य संबंध (केवल पते के अद्यतीकरण के लिए)* : ☐ पति या पत्नी ☐ संतान / प्रतिपाल्य *(वार्ड)* ☐ भाई या बहन
	(ख) संबंध के सबूत के रूप में प्रस्तुत दस्तावेज का प्रकार : *(यूआईडीएआई की वेबसाइट और नामांकन केंद्रों पर प्रदर्शित "स्वीकार्य सहायक दस्तावेजों की सूची" देखें)*
	मैं ऊपर नामित आवेदक की पहचान और वह मुझसे कथित अनुसार संबंधित है इसकी पुष्टि करता/करती हूँ। मैं एतद्द्वारा सहमति देता/देती हूँ कि मेरे आधार नंबर के विरुद्ध दर्ज पते को आवेदक के आधार नंबर के विरुद्ध पते के रूप में दर्ज किया जाए।
	एचओएफ के हस्ताक्षर :
6	**अद्यतीकरण के लिए, अतिरिक्त सूचना :**
	(क) आवेदक का आधार नंबर : ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐
	(ख) अद्यतीकृत की जाने वाली सूचना : ☐ बायोमेट्रिक (फोटो, अंगुलियों की छाप और *आइरिसें)* ☐ नाम ☐ जन्म तिथि ☐ लिंग ☐ पता ☐ मोबाइल ☐ ईमेल ☐ *पीओआई* और *पीओए* दस्तावेजों का अद्यतीकरण

घोषणा

1. मैं एतद्द्वारा पुष्टि और घोषणा करता/करती हूँ कि—
   (क) प्रस्तुत की गई सभी सूचना और दस्तावेज मेरी सर्वोत्तम सूचना और विश्वास के अनुसार सही हैं;
   (ख) मैं उपरोक्त दस्तावेजों / सबूतों को साक्ष्यित करने वाली सूचनाओं का/की हकदार हूँ; और
   (ग) मैं एक अनिवासी भारतीय (वैध भारतीय पासपोर्ट धारक नागरिक जो भारत का निवासी नहीं है) हूँ।
2. मैं समझता/समझती हूँ कि यदि उपरोक्त घोषणा गलत पाई जाती है, तो मेरा आधार नंबर निष्क्रिय किया जा सकता है और, इसके अतिरिक्त, मेरे विरुद्ध विधि अनुसार कार्रवाई की जा सकती है।
3. मैं समझता/समझती हूँ कि आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों के अनुसार उपरोक्त सूचना उपयोग, प्रकट या साझा की जा सकती है।
4. मैं पहचान, पते, जन्म तिथि और/या संबंध के प्रमाण साक्ष्यित करने वाली सूचना को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ऐसी सूचना की तैयारी या अनुरक्षण के व्यवहारी प्राधिकारियों के डेटाबेसों से अभिप्राप्त करने और उपरोक्त सूचना या दस्तावेजों को सरकारी एजेंसियों और/या किसी ऐसे प्राधिकारी से, सत्यापन के प्रयोजन के लिए, साझा करने के लिए एतद्द्वारा अपनी सहमति देता/देती हूँ।

सत्यापनकर्ता के हस्ताक्षर :	आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप* :
सत्यापनकर्ता का नाम :	तारीख और समय :

* यदि आवेदक दिव्यांगजन है, जिसके संबंध में एक विधिक संरक्षक नियुक्त है और ऐसी संरक्षकता का विस्तार चाही गई सहमति देने तक है, तो ऐसा/ऐसी संरक्षक इसके समर्थन में दस्तावेज प्रस्तुत करेगा/करेगी और आवेदन को हस्ताक्षरित करेगा/करेगी।

नोट : इस प्रपत्र का उपयोग उस तारीख को और से किया जा सकता है जिस पर प्राधिकरण उसकी वेबसाइट के जरिए इसकी सार्वजनिक सूचना देता है।

प्रपत्र 2 भरने के लिए अनुदेश

क्र.सं.	मद	अनुदेश	अनिवार्य या ऐच्छिक
1	प्रयोजन	कृपया केवल एक, जो भी लागू हो, पर सही का निशान (✔) लगाएँ।	अनिवार्य
2	*जनसांख्यिकीय सूचना :*		
(क)	नाम	(1) कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरे भरें। (2) कृपया शिष्टाचारसूचक शब्द (मिस्टर, सुश्री/मिज़, मिसेज़, श्री, श्रीमती, कुमारी, थिरु, थिरुमति आदि), सम्मान शब्द (डॉ., प्रो., सर, न्यायमूर्ति/जस्टिस, रक्षा सेवा रैंक, *ऐक्लिसिआस्टिकल* उपाधि आदि), पेशा/योग्यता/सेवा (डॉ., इंजीनियर, सीए, एडवोकेट, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस आदि) और अन्य नाम / *एलिअस* (उर्फ़, ए. के. ए. आदि) का लोप करें, भले ही दस्तावेज में यह आता हो।	अनिवार्य
(ख)	जन्म तिथि *(डीओबी)* या आयु	(1) कृपया *डीओबी* या आयु, जो लागू हो, के ब्यौरे भरें। (2) "सत्यापित", "घोषित" या "अनुमानित" में से, जो लागू हो, केवल एक पर सही का निशान (✔) लगाएँ। (3) यदि जन्म तिथि का सबूत *(पीडीबी)* उपलब्ध है और प्रस्तुत किया जा रहा है तो "सत्यापित" पर सही का निशान लगाएँ। (4) यदि *पीडीबी* उपलब्ध नहीं है तो, आवेदक या तो घोषित जन्म तिथि *(डीओबी)* या अनुमानित आयु दे सकता/सकती है, जिस स्थिति में केवल जन्म का वर्ष आधार कार्ड पर मुद्रित किया जाएगा।	अनिवार्य
(ग)	लिंग	कृपया केवल एक, जो भी लागू हो, पर सही का निशान (✔) लगाएँ।	अनिवार्य
(घ)	ईमेल	कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरे भरें।	अनिवार्य
(ङ)	मोबाइल नंबर	(1) कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरे भरें। (2) अनिवासी-भारतीय के मोबाइल नंबर के मामले में, उस पर कोई *एसएमएस/टेक्स्ट* संदेश नहीं भेजा जाएगा।	ऐच्छिक
3	नामांकन/अद्यतीकरण का आधार	कृपया केवल एक, जो भी लागू हो, पर सही का निशान (✔) लगाएँ।	अनिवार्य
4	*दस्तावेज-आधारित नामांकन/अद्यतीकरण के लिए, अतिरिक्त जनसांख्यिकीय सूचना और प्रस्तुत दस्तावेज :*		
(क)	पता	(1) भरा गया विवरण वैध भारतीय पासपोर्ट में दिए गए विवरण के समान होना चाहिए। (2) आधार पत्र को भारतीय डाक के माध्यम से भरे गए पते पर भेजा जाएगा।	अनिवार्य
(ख)	प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रकार	(1) दस्तावेज का प्रकार *यूआईडीएआई* की वेबसाइट और नामांकन केंद्रों पर प्रदर्शित "स्वीकार्य सहायक दस्तावेजों की सूची" में विनिर्दिष्ट प्रकारों में से होना चाहिए। (2) मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसे एक इलेक्ट्रॉनिक प्रतिलिपि बनाने और मूल के विरुद्ध सत्यापित करने के बाद वापस कर दिया जाएगा। (3) वैध भारतीय पासपोर्ट ही एकमात्र स्वीकार्य *पीओआई* और *पीओए* है।	अनिवार्य
5	*एचओएफ आधारित नामांकन या-पते के अद्यतीकरण के लिए, अतिरिक्त सूचना और प्रस्तुत दस्तावेज :*		
(क)	*एचओएफ* के ब्यौरे	(1) कृपया (i) में जो लागू हो, ब्यौरे भरें। (2) कृपया (ii) में, जो लागू हो, केवल एक पर सही का निशान (✔) लगाएँ। (3) *एचओएफ*-आधारित नामांकन के लिए, *एचओएफ* 18 वर्ष या अधिक आयु का और आवेदक का माता, पिता या विधिक संरक्षक होना चाहिए। (4) *एचओएफ*-आधारित पते के अद्यतीकरण के लिए , *एचओएफ* 18 वर्ष या अधिक आयु का और आवेदक का माता, पिता, विधिक संरक्षक, पति या पत्नी, संतान / प्रतिपाल्य *(वार्ड)* या भाई या बहन होना चाहिए।	अनिवार्य
(ख)	प्रस्तुत संबंध का सबूत *(पीओआर)* दस्तावेज का प्रकार	(1) दस्तावेज का प्रकार *यूआईडीएआई* की वेबसाइट और नामांकन केंद्रों पर प्रदर्शित "स्वीकार्य सहायक दस्तावेजों की सूची" में विनिर्दिष्ट प्रकारों में से होना चाहिए। (2) मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसे एक इलेक्ट्रॉनिक प्रतिलिपि बनाने और मूल के विरुद्ध सत्यापित करने के बाद वापस कर दिया जाएगा।	अनिवार्य
6	*अद्यतीकरण के लिए, अतिरिक्त सूचना :*		
(क)	आवेदक का आधार नंबर	कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरे भरें।	अनिवार्य
(ख)	अद्यतीकृत की जाने वाली सूचना	कृपया एक या अधिक, जो भी लागू हो, पर सही का निशान (✔) लगाएँ।	अनिवार्य

नामांकन केंद्र पर नामांकन और अद्यतीकरण सेवा के लिए फीस

क्र.सं.	सेवा	फीस
1.	नामांकन	नि:शुल्क
2.	बायोमेट्रिक सूचना (फोटो, अंगुलियों की छाप और *आइरिसें*) का अद्यतीकरण	(क) यदि 5 से 7 वर्ष की आयु के बीच एक बार किया गया है : नि:शुल्क (ख) यदि 15 से 17 वर्ष की आयु के बीच एक बार किया गया है : नि:शुल्क (ग) यदि अन्यथा किया गया है : ₹ *100*
3.	जनसांख्यिकीय सूचना (नाम, लिंग, जन्म तिथि, पता, मोबाइल नंबर या ईमेल पता) का अद्यतीकरण	(क) यदि बायोमेट्रिक सूचना के अद्यतीकरण के समय ही किया गया है : नि:शुल्क शुल्क (केवल बायोमेट्रिक अद्यतीकरण का ही शुल्क लागू) (ख) यदि सभी या किसी जनसांख्यिकीय सूचना के लिए, अलग से किया गया है : ₹ *50*
4.	*पीओआई* और *पीओए* दस्तावेजों (पते और पहचान के सबूत के साक्ष्य) का अद्यतीकरण	₹ *50*

नोट : आवेदक के विदेशी पते को आधार पत्र भेजने के लिए, ऐसा प्रभार देय होगा जो प्राधिकरण समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे और उसकी वेबसाइट पर प्रदर्शित करे।